रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042024-253808
CG-DL-E-22042024-253808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 2, 1946
No. 235]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 2, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 249(अ).—केंद्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों को तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

2. वे सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि नियम, 2013 में -

(क) नियम 8 में, उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(1क) एक वित्त वर्ष के दौरान उप-धारा (1) में संदर्भित मासिक अभिदान की राशि, उस वित्त वर्ष में जमा की गई बकाया अभिदान की राशि के साथ, नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी।";

(ख) नियम 9 में, -

(i) उप-नियम (1) में, खंड (ख) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि एक वित्त वर्ष में मासिक अभिदान का योग आयकर नियम, 1962 के नियम 9 घ के उप-नियम (2) के नीचे

स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।" ;

(ii) उपनियम (4) में, -

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में, "आगे" शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) उप-नियम (3) के तहत तय की गई अथवा उप-नियम (4) के तहत घटाई अथवा बढ़ाई गई अभिदान की राशि, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन होगी।";

(ग) नियम 10 में, उप-नियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि एक वित्त वर्ष के दौरान मासिक अभिदान का योग, अभिदान की बकाया राशि और उस वित्त वर्ष में वसूले गए ब्याज के साथ, किसी भी स्थिति में, नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के दूसरे प्रावधान में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा।"

नोट:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 29 जनवरी, 2013 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 49 (ई) तारीख 29 जनवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. ईएक्सपीएल-11032(11)/17/2022-ईएक्सपीएल-आई-पीएनजी) (ई-46530)]

अमित बंसल, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April , 2024

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund Rules, 2013, namely :-

1. These rules may be called the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund (Amendment) Rules, 2024.
2. They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Staff Provident Fund Rules, 2013, -

(a) in rule 8, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(1A) The sum of monthly subscription referred to in sub-section (1) during a financial year together with the amount of arrear subscriptions deposited in that financial year shall not exceed the limit as specified in the second proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 9.";

(b) in rule 9, -

(i) in sub-rule (1), in clause (b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided further that the sum of monthly subscriptions in a financial year shall not exceed the threshold limit referred to in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* below sub-rule (2) of rule 9D of the Income Tax Rules, 1962." ;

(ii) in sub-rule (4), -

(A) the first proviso shall be omitted;

(B) in the second proviso, the word "further" shall be omitted;

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(5) The amount of subscription fixed under sub-rule (3), or reduced or enhanced under sub-rule (4), shall be subject to the minimum and maximum limit specified in sub-rule (1).";

(c) in rule 10, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the sum of monthly subscriptions during a financial year together with arrears of subscription and the interest thereon recovered in that financial year shall, in no case, exceed the limit as specified in the second proviso to clause (b) of sub-rule (1) of rule 9."

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th January, 2013 *vide* notification number G.S.R 49 (E) dated the 29th January, 2013.

[F. No. Expl-11032(11)/17/2022-EXPL-I-PNG) (E- 46530)]

AMIT BANSAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.22 21:27:44 +05'30'